

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशितअसाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 अप्रैल, 2016 ई0

चैत्र 19, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासनविधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 130 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 10(1)2016

देहरादून, 07 अप्रैल, 2016

अधिसूचनाविविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2016 को दिनांक 04 अप्रैल 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12, सन 2016 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण)

अधिनियम, 2016

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2016}

विषय सूचीधाराएं विवरणपृष्ठ संख्या

- 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
- 2 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना
- 3 परिभाषाएं
- 4 भूगर्भ जल प्राधिकरण की स्थापना
- 5 प्राधिकरण के कर्मचारीगण
- 6 भूगर्भ जल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्तियां
- 7 अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालनें एवं उसका उपयोग करने के लिए अनुज्ञा पत्र दिया जाना

- 8 अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण
- 9 ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण
- 10 अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्रों की शर्तों को परिवर्तित करने, संशोधित करने अथवा परिवर्धन की शक्ति
- 11 अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण
- 12 भू-गर्भ जल के उपयोग के संबंध में स्वामिस्व (रायलेटी)
- 13 प्राधिकरण की शक्तियां
- 14 आदेश इत्यादि का पालन
- 15 क्षतिपूर्ति के दावे पर रोक
- 16 शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन
- 17 भूगर्भ जल प्राधिकरण के सदस्यों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना
- 18 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा
- 19 अपराधों का संज्ञान और विचारण
- 20 भूगर्भ जल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल का संचयन
- 21 कठिनाईयां दूर करने की शक्ति
- 22 अपराध एवं शास्तियां
- 23 अपराधों का प्रशमन करना
- 24 कम्पनियों द्वारा अपराध
- 25 अपील
- 26 नियम बनाने की शक्ति

उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2016

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2016}

भूगर्भ जल विकास और प्रबंधन एवं उससे संबंधित अथवा प्रशासनिक मामलों को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | |
|--|----|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं और प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2016 है।

(2) उसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से लागू होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में नियत किया जाय। |
| अधिनियम का अध्यारोही संचय प्रभाव होना | 2. | इस अधिनियम के उपबंधों का, कुमायू तथा गढवाल जल (संग्रह, तथा वितरण) अधिनियम, 1975 और उत्तराखण्ड जल प्रबंधन और विनियामक अधिनियम, 2013 तथा तत्समयय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा। |
| परिभाषाएं | 3. | इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; |

- (क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं नियंत्रण का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है;
- (ख) "कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण" से वह विधि जिसके द्वारा भूगर्भ जल भण्डार का संवर्द्धन प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण की दर से अधिक हो, अभिप्रेत है;
- (ग) "प्राधिकरण" से इस अधिनियम के प्रावधानाएँ के अनुसार स्थापित उत्तराखण्ड भूगर्भ जल प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (घ) "पेयजल" से पीने और अन्य घरेलू प्रयोजनों के लिए मानव आबादी द्वारा खपत और प्रयोग के लिए जल जिसमें खाना पकाने, नहाने धोने, साफ करने तथा अन्य दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए जल की खपत अथवा प्रयोग सम्मिलित होगा। इसमें जीव जन्तुओं द्वारा जल की खपत भी शामिल होगी।

निरसन- उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2017 की धारा 2
द्वारा निरसित।

- (ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (च) "भूगर्भ जल" से वह जल जो किसी संतृप्त क्षेत्र में भूमि की सतह के नीचे विद्यमान है और जिसे कुएं अथवा किसी अन्य साधन से निकाला जा सकता है अथवा जो धाराओं और नदियों में झरनों और मूल प्रवाहों के रूप में निकलता है अभिप्रेत है;
- (छ) "नगरपालिका" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित स्वशासी संस्था अभिप्रेत है;
- (ज) "पंचायत" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वशासी संस्था अभिप्रेत है;
- (झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत है;
- (ञ) "वर्षा जल संचयन" से सतही वर्षा जल अथवा उप सतही जलभृत के संग्रहण और भंडारण की तकनीक अभिप्रेत है;
- (ट) "स्वामिस्व (रायलेटी)" से इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली स्वामिस्व (रायलेटी) अभिप्रेत है;
- (ठ) "सिंक" से सभी व्याकरणिक विभेदों के साथ कृप से संबंधित सजातीय अभिव्यक्तियों में नये कूपों की खुदाई, उत्खनन या परिवेधन करना अथवा विद्यमान कूपों को और अधिक गहरा करके (परिधि एवं दीर्घा का) संशोधन करना अभिप्रेत है;
- (ड) "भूगर्भ जल का उपयोगकर्ता" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति समूह अथवा कोई संस्थान कम्पनी या स्थापना, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर किये गये घरेलू उपयोग सहित किसी भी प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल निकालता अथवा उपयोग अथवा विक्रय करता हो अभिप्रेत है; और

(ढ) "संरचना" से कोई सन्निर्मित संरचना जो भूगर्भ जल संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण, खोज, विकास, संवर्द्धन, संरक्षण, सुरक्षा अथवा भूगर्भ जल प्रबंधन हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए राज्य या केन्द्र सरकार

के प्राधिकृत अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भूगर्भ जल की

खोज करने या निकालने के लिए खोदा गया है इसमें

खुला कूप, खोदा गया कूप, बोरिंग किया गया कूप, खोदा गया तथा बोरिंग किया गया

कूप, नलकूप, फिल्टर प्वाइंट संग्राही कूप एवं अन्तः

स्त्रुत गैलरी, पुनर्भरण कुआ, विन्यास कुआं अथवा उनमें से किसी का

संयोजन या रूपभेद सम्मिलित है, परन्तु इसमें ऐसे कूप शामिल नहीं होंगे जिससे हैड पम्प या रस्सी

एवं बाल्टी जैसी हस्त चालित युक्तियों द्वारा भूगर्भ जल व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उपयोग हेतु निकाला जाता

हो, अभिप्रेत है।

अध्याय—दो

- भूगर्भ जल प्राधिकरण 4. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में, की स्थापना यथा—विनिर्दिष्ट तिथि के प्रभाव से उत्तराखण्ड राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण ज्ञात नाम से एक प्राधिकरण स्थापित करेगी।
- सेवानिवृत्त कोई (2) प्राधिकरण का गठन निम्नवत संरचित होगा—
- की आयु (क) मुख्य सचिव की श्रेणी से अनिम्न कोई कार्यरत अथवा अधिकारी जिसे जल क्षेत्र में न्यूनतम कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव हो। अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो, तक के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
- प्रतिनिधि (ख) अध्यक्ष केन्द्रीय भूमि जल परिषद् द्वारा मनोनीत किए जाने वाला केन्द्रीय भूमि जल परिषद् का कोई एक प्रतिनिधि।
- सर्वेक्षण, (ग) राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित विभागों के सेवारत चार पदेन सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, जिनका संबंध भूगर्भ जल के खोज, विकास एवं प्रबंधन से है:—

(एक) लघु सिचाई विभाग लघु सिचाई विभाग का कोई अधिकारी, जो अधीक्षण अभियंता के स्तर से न्यून न हो

(दो) वन विभाग प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

(तीन) पेयजल विभाग पेयजल निगम अथवा जल संस्थान के प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य महाप्रबन्धक

(चार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्रभारी, उत्तराखण्ड सुदूर संवेदन केन्द्र

(पांच) ऊर्जा विभाग अधीक्षण अभियन्ता से अन्यून

कोई अभियन्ता

(घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकतम पांच अन्य सदस्य जो, राज्य सरकार की राय में, भूगर्भ जल से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हों।

(3) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की पदावधि रिक्तियां भरने की रीति और अन्य सेवा—शर्तें ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।

(4) सदस्यगण अध्यक्ष को जो प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक होगा, सलाह देंगे।

प्राधिकरण अधीन कर्मचारीगण संख्या	के 5.	(1) प्राधिकरण को समुचित रूप से काम करने या अधिनियम के शक्तियों के प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार उतनी में तकनीकी कार्मिकों एवं अन्य कर्मचारीगण की नियुक्ति कर सकेगी, जितनी वह आवश्यक समझे।
		(2) ऐसे कर्मचारियों के कार्य एवं सेवा की शर्तें वहीं होगी, जो सरकार द्वारा विहित की जाए।
भूगर्भ जल विकास एवं करेगा। प्रबंधन के विनियमन एवं विभिन्न विशेषज्ञ नियंत्रण हेतु क्षेत्रों को मानता अधिसूचित करने की अथवा शक्तियां हित हेतु जाने जायेगी;	6.	(1) प्राधिकरण सरकार के समय नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणाधीन कार्य (2) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सी0जी0डब्ल्यू0ए0) सहित निकायों के साथ परामर्श करने के पश्चात् यदि प्राधिकरण यह है कि किसी क्षेत्र में किसी भी रूप में भूमि जल की निकासी उपयोग दोनों के नियंत्रण एवं विनियमित करने के लिए यह लोक में आवश्यक एवं समीचीन है तो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों ऐसी तारीख से, जैसा कि इसमें विनिर्दिष्ट है, से अधिसूचित किये वाले ऐसे किसी क्षेत्र की घोषणा करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देगा। यह घोषणा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की परन्तु यह कि अधिसूचना में ऐसी विनिर्दिष्ट तारीख अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के पूर्व की नहीं होगी।
		(3) प्रत्येक ऐसी अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन के अतिरिक्त राज्य में व्यापक प्रसार वाले क्षेत्रीय भाषा के न्यूनतम एक समाचार पत्र जिसका राज्य में व्यापक परिचालन हो, में प्रकाशित की जाएगी तथा ऐसी रीति से भी प्रकाशित की जाएगी, जिसे सरकार उचित समझे और उस प्रकार की सेवा को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित सभी या किसी रीति को अपना सकेगी, यथा—
		(क) उक्त क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों के कार्यालयों के कतिपय सहज—दृश्य भाग में अधिसूचना की प्रति चस्पा करके;

(ख) उक्त क्षेत्र में अधिसूचना की विषयवस्तु के बारे में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से उद्घोषणा कराकर;

(ग) अन्य ऐसी रीति से जैसा निर्धारित किया जाय।

(4) यदि प्राधिकरण की राय में किसी अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल की उपलब्धता में सुधार हो गया हो, तो वह राज्य सरकार को केन्द्रीय भूमि जल परिषद् सहित विभिन्न निकायों के परामर्श से ऐसे क्षेत्र को गैर अधिसूचित करने की सलाह दे सकेगा तथा क्षेत्र को अधिसूचित करने की उपर्युक्त उपधारा (3) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार कार्यवाही कर सकेगी।

(5) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने का उपाय करेगा कि भूगर्भ जल के संसाधनों का दोहन जलभृतों की प्राकृतिक पूर्ति से अधिक नहीं हो रहा है और जहां कहीं भी असमानता है, विनियामक उपायों के अतिरिक्त भूगर्भ जल संसाधनों की वृद्धि सुनिश्चित करने के उपाय किये जायेंगे।

(6) प्राधिकरण राज्य के भूगर्भ जल पर आंकड़ों के आधार का रख-रखाव और उसे अद्यतन करेगा।

अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने एवं उसका उपयोग करने के

अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुज्ञा पत्र देने संबंधी

7. (1) भूगर्भ जल का कोई उपयोगकर्ता धारा 3 के खण्ड (च) में यथा पारिभाषित जो या तो व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर किसी

प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्र में कोई संरचना सन्निर्मित करना चाहता हो, लिए वह इस प्रयोजन के लिए अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण को आवेदन करेगा और प्राधिकरण द्वारा जब तक इस हेतु उसे प्रदान नहीं कर दिया जाता तब तक वह उसे सन्निर्मित कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा;

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को हस्तचलित पम्प लगाने अथवा हस्तचलित युक्तियों के द्वारा जल को निकाले जाने वाले कुएं के प्रस्ताव पर इस हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी प्रविष्टियों को अन्तर्विष्ट करते हुए और उस रीति से दिया जायेगा, जैसा प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यदि भूगर्भ जल प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा तो वह जल की निकासी और उपयोग करने का अनुज्ञा पत्र, यथा निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन दे सकेगा। इसमें आवेदक को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर पर्याप्त आकार की कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं निर्मित करने की शर्त भी लगाई जा सकेगी;

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार नहीं किया जाएगा।

	(4) प्राधिकरण द्वारा आवेदक को इस आवेदन के प्राप्त होने से 90 दिनों की अवधि के भीतर अनुज्ञा प्रदान किए जाने अथवा इनकार किए जाने संबंधी निर्णय से अवगत कराना होगा।
	(5) उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा पत्र देने या देने से इन्कार करते समय प्राधिकरण को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा—
	(क) उद्देश्य अथवा प्रयोजन, जिसके लिए भूगर्भ जल का उपयोग किया जाना है;
	(ख) अन्य प्रतिस्पर्द्धी उपयोगकर्ताओं का अस्तित्व;
	(ग) भूगर्भ जल की उपलब्धता;
	(घ) दोहन किये जाने वाले भूगर्भ जल की गुणवत्ता;
भूगर्भ	(ङ) उपयोग के संबंध में भूगर्भ जल की गुणवत्ता;
	(च) जल का उपयोग करने संबंधी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जल संरचनाओं के बीच की दूरी (स्पेसिंग);
उपलब्धता	(छ) दीर्घकालिक भूगर्भ जल स्तर व्यवहार,
	(ज) अपने आस-पास के क्षेत्र में किसी पेय जल स्रोत की जल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना;
	(झ) इससे संबंधित कोई अन्य कारक।
अधिसूचित क्षेत्रों में 8.	(6) अनुज्ञा पत्र यथा विहित प्रपत्र में होगा।
जल का विद्यमान उपयोगकर्ताओं तारीख से 120 का पंजीकरण	(1) धारा 6 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में भूगर्भ प्रत्येक विद्यमान उपयोगकर्ता प्राधिकरण के गठन की
शुल्क	दिनों के भीतर आवेदन पत्र में ऐसे विवरण, ऐसी विवरणियां और
मान्य	के साथ जैसा विहित किया जाय, उसके विद्यमान उपयोग को किये जाने के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण को आवेदन करेगा;
बीत	परन्तु यह कि यदि प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि उपयोगकर्ता को समय पर आवेदन नहीं कर सकने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं तो प्राधिकरण उक्त एक सौ बीस दिनों की अवधि के जाने के पश्चात् भी किसी आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकेगा।
	(2) उप धारा (1) के अधीन दिए गये आवेदन में प्रस्तुत किए जाने वाले ब्योरो में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, यथा—
स्थिति;	(एक) जल स्रोत का विवरण, यथा कूप का प्रकार इसकी वास्तविक
घंटे;	(दो) जल को ऊपर ले जाने के लिए प्रयुक्त साधन;
	(तीन) प्रतिदिन भूगर्भ जल की निकासी की मात्रा और परिचालन के
	(चार) प्रत्येक वर्ष में उपयोग की कुल अवधि;
	(पांच) भूगर्भ जल की निकासी करने के प्रयोजन;
इससे	(छः) यदि भूगर्भ जल की आवश्यकता पेयजल प्रयोजन के लिए है तो लाभान्वित होने वाली आबादी;
	(सात) सिंचाई कूप के मामले में उसका स्थान एवं सिंचित क्षेत्र;
अथवा	(आठ) राज्य नगरपालिका या समुदाय द्वारा चलाई जा रही जलापूर्ति योजनाओं के मामले में निकाली गई जल की मात्रा विशाखन
कार्यकलापों	पंपिंग प्वाइंटों और उनके स्थानों के अतिरिक्त शामिल अन्य के ब्योरे।
	(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यदि प्राधिकरण

का नहीं साथ पत्र दे		यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना लोक हित के प्रतिकूल होगा तो वह उन शर्तों और प्रतिबन्धों जो विहित की जाये, के जल के निरंतर उपयोग को प्राधिकृत करते हुए पंजीकरण प्रमाण
		9
		सकेगा;
प्रदान किया		परन्तु यह कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर किये बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार नहीं जाएगा।
प्राधिकरण अस्वीकार		(4) आवेदन के प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर आवेदक को द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनुमति प्रदान करने अथवा करने संबंधी निर्णय से अवगत कराना होगा।
अथवा		(5) प्राधिकरण को उपधारा (3) के अधीन अनुमति प्रदान करने अस्वीकार करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा—
		(क) भूगर्भ जल को प्रयुक्त करने के लिए उद्देश्य अथवा प्रयोजन;
		(ख) अन्य प्रतिस्पर्द्धी उपयोगकर्ताओं का अस्तित्व;
		(ग) भूगर्भ जल की उपलब्धता;
		(घ) उपयोग के संबंध में भूगर्भ जल की गुणवत्ता;
भूगर्भ		(ङ.) प्रयुक्त किए जा रहे जल के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए जल संरचनाओं के बीच की दूरी (स्पेसिंग)
		(च) दीर्घकालिक भूगर्भ जल स्तर व्यवहार,
		(छ) इससे संबंधित कोई अन्य कारक।
जाये। निर्णय विद्यमान		(6) पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा जैसा विहित किया
		(7) उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा लंबित आवेदन पत्र संसूचित करने तक अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक उपयोगकर्ता उसी रीति से और उतनी ही मात्रा में भूगर्भ जल का निरंतर उपयोग करने का हकदार होगा जितना कि वह अपने पत्र की तारीख से पहले हकदार था।
आवेदन		(8) यदि कोई पंजीकृत कूप निष्क्रिय हो जाता है तो इस तथ्य को जल के उपयोगकर्ता द्वारा प्राधिकरण के ध्यान में तुरंत लाया आवश्यक होगा।
भूगर्भ जाना		
ड्रिलिंग एजेंसियों का रीति पंजीकरण करायेगा	9.	राज्य में प्रत्येक रिंग संचालक अपनी मशीनरी को प्राधिकरण में ऐसी और ऐसे शुल्क के भुगतान जैसा विहित किया जाय, पंजीकरण और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा। अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण
पश्चात् किसी भी प्रमाण पत्रों की शर्तों को अभिलिखित करने परिवर्तित करने, समय संशोधित करने अथवा के परिवर्धन की शक्ति	10.	यथास्थिति, अनुज्ञा पत्र या पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के समय प्राधिकरण तकनीकी कारणों से जिसके कारण होंगे, अनुज्ञा पत्र या पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों में किसी भी परिवर्तन, संशोधन अथवा फेरबदल कर सकेगा, बशर्ते भूगर्भ जल उपयोगकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान किया गया हो;
सुनिश्चित		परन्तु यह कि ऐसी कार्रवाई करने के पूर्व प्राधिकरण यह कर लेगा कि खड़ी फसल (फसलों) को नुकसान न पहुँचे।
अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण संदर्भ से प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण	11.	यदि प्राधिकरण इस आशय से अथवा इससे अन्यथा किए गए इस संतुष्ट है कि :—
अधीन, पंजीकरण		(क) धारा 7 की उपधारा (3) अथवा धारा 8 की उपधारा (3) के जैसी भी स्थिति हो, प्रदान किया गया अनुज्ञा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(ख) अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक बिना युक्तिसंगत कारण से शर्तों का अनुपालन करने में विफल हो गया हो जिसके तहत अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है।

अथवा

(ग) ऐसी स्थिति हो गई हो जिससे भूगर्भ जल की निकासी अथवा इसके उपयोग को परिसीमित करना आवश्यक है।

तो ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले—बिना, जिसके लिए अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक इस अधिनियम के तहत उत्तरदायी हो तो प्राधिकरण अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक को कारण पृच्छा के लिये अवसर दिये जाने के पश्चात् अनुज्ञा पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र को जैसा कि मामला हो निरस्त कर सकेगा।

भू-गर्भ जल के उपयोग
जल के संबंध में स्वामिस्व
को (रायलेटी)
पूर्वानुमोदन से

(1) किसी अधिसूचित स्थान में भूगर्भ जल का प्रत्येक प्रयोक्ता भूगर्भ को निकालने के लिए स्वामिस्व (रायलेटी) का भुगतान प्राधिकरण ऐसी दर पर और ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार की प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाय, करेगा;

परन्तु यह कि भूगर्भ जल का प्रयोक्ता जो उसका प्रयोग एक हैक्टेअर भूमि से कम में कृषि/ औद्योगिक या पुष्प उद्योग की सिंचाई के लिए करेगा चाहे वह स्वयं की भूमि हो अथवा पट्टे की या दोनों प्रकार की, वह इस धारा के अधीन स्वामिस्व (रायलेटी) के भुगतान करने से छूट प्राप्त कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण स्वामिस्व (रायलेटी) के ऐसे भाग को जैसा वह विहित करे, भूगर्भ जल स्रोतों के पेयजल स्कीमों या अन्य किसी प्रयोजनों के लिये तथा विकास के अनुरक्षण हेतु प्रयोग में ला सकेगा।

प्राधिकरण की शक्तियां
किसी
अर्थात्—

(1) प्राधिकरण अथवा उसकी ओर से लिखित में प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को निम्न शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा,

(क) किसी भी सम्पत्ति (निजी या सरकारी) पर अनुसंधान करने तथा भूमि अथवा सतही या जमीन के नीचे अवस्थित जल से संबंधित कोई माप करने के लिए प्रवेश करना;

(ख) खोदे/गाड़े गये या खोदे/गाड़े जा रहे कूप या उससे उत्खनित मिट्टी अथवा अन्य सामग्रियों की जांच करना;

(ग) ऐसे कूपों से ऐसी मृदा अथवा अन्य सामग्रियों अथवा निकाले गए जल के नमूने लेना;

(घ) कूप खोदने/गाड़ने वाले व्यक्तियों को, लिखित आदेश देना कि कार्य समापन या कार्य परित्याग की तिथि से छः माह से अनधिक अवधि के लिए मिट्टी या उससे उत्खनित सामग्री के नमूनों को उस रीति से रखने एवं परिरक्षण करने की, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, तथा वैसे व्यक्ति उक्त आदेश का पालन करेंगे;

(ड) इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए वांछित कोई सूचना (खोदे जा रहे अथवा खोदे गए कूपों के व्यास अथवा गहराई सहित जल स्तर अथवा प्रभावित स्तर और बाद में पुनर्भारित/रूका हुआ स्तर, कुएं को खोदे जाने में आने वाली परत और प्रभावित भूगर्भ जल की गुणवत्ता) प्राप्त करने के लिए निरीक्षण करने तथा संबंधित अभिलेख अथवा दस्तावेज की प्रतियां प्राप्त करने तथा तत्सम्बन्धी पूछताछ करना;

(च) किसी भी भूगर्भ जल निकासी संरचनाओं संबंधी जल मापन साधन की स्थापना के लिए भूगर्भ जल प्रयोक्ता को निर्देश देना;

परन्तु जहां भूगर्भ जल के उपयोगकर्ता द्वारा 60 दिनों की अवधि के भीतर उसे जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण स्वयं जलमापन यंत्र लगा सकेगा और इस संबंध में अनुपालन न करने वाले उपयोगकर्ता से इसकी लागत वसूल कर सकेगा;

(छ) अवैध रूप से कुआं खनन के लिए प्रयुक्त उपकरण/साधन को जब्त करना और पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से किये गये कार्य को ध्वस्त करना;

(ज) भूगर्भ जल के किसी उपयोगकर्ता को इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाये गए नियमों का अनुपालन न होने पर भूगर्भ जल की निकासी को बंद करने, विद्युत विच्छेद करने अथवा विहित रीति से अवैध पाये जाने पर किसी भी द्रव चालित (हॉइड्रालिक) कार्य को ध्वस्त करने का निदेश देना;

(झ) ऐसे किसी स्थान में तथा ऐसे सहयोग से जो वह आवश्यक समझे, ऐसे किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि उसमें इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया हो या किया जा रहा हो, तो उसे तीस दिनों से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भूगर्भ जल न निकालने या उसका उपयोग न करने हेतु लिखित आदेश देना;

(ञ) इस अधिनियम के उद्देश्यों अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम को क्रियान्वित करने के लिए ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति में जहां कूप की खुदाई, जल निकासी अथवा भूगर्भ जल का उपयोग हो रहा हो में ऐसे किसी परिसर का द्वार तोड़ कर खोलने की शक्ति सम्मिलित है;

परन्तु यह कि द्वार तोड़ने की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब परिसर का स्वामी अथवा परिसर में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति के वहां उपस्थित रहने पर तथा द्वार खोलने के लिए कहने पर उसके द्वारा द्वार खोलने से मना कर दिया गया हो।

(3) इस धारा के अधीन तलाशी या अभिग्रहण करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (2, 1974) के उपबंध जहां तक हो सके उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार उक्त संहिता की धारा 93 के

अधीन निर्गत अधिपत्र के प्राधिकार के अधीन कोई तलाशी या अभिग्रहण किए जाने पर लागू होते हैं।

- (4) जहां प्राधिकरण उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अन्तर्गत कोई यांत्रिक उपकरण/उपस्कर जब्त करता है तब शीघ्रताशीघ्र उसे दण्डाधिकारी को सूचित करना होगा तथा उसे अपनी हिरासत में लेने के लिए उसका आदेश प्राप्त करना होगा।

आदेश इत्यादि
की पालन

का 14.

- (1) धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन प्रत्येक आदेश तामिली निम्न निम्न प्रकार से की जायेगी:-

(क) नोटिस के आदेश को देने अथवा तामिल करने अथवा उस उपयोगकर्ता को डाक द्वारा भेजने जिसके लिए यह अभीष्ट है, अथवा

(ख) यदि ऐसा उपयोगकर्ता उपलब्ध नहीं होता है तो नोटिस के आदेश को उसके रहने के अंतिम ज्ञात स्थान अथवा व्यवसाय के स्थान के किसी सहज दृश्य भाग में चस्पाकर अथवा उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य/नौकर को देकर अथवा भूमि या भवन के कुछ सहज दृश्य भाग पर जहां कुएं की खुदाई की जा रही है, चस्पाकर।

(2) जहां व्यक्ति जिसे आदेश अथवा नोटिस दिया जाता है, नाबालिग है, तो उपधारा (1) में दी गई रीति के अनुसार उनके संरक्षक को तामिल नाबालिक को की गई तामिल मानी जाएगी।

क्षतिपूर्ति के दावे पर
पर रोक

15. कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के आधार उसे हुई किसी हानि के लिए राज्य सरकार या प्राधिकरण से किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

शक्तियों और कर्तव्यों
दे का प्रत्यायोजन
जाने
परिस्थितियों तथा
हो,
आदेश
किसी

16. प्राधिकरण लिखित में सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा यह निदेश सकेगा कि उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अथवा निर्वहन किये वाले सभी अथवा किन्ही शक्तियों अथवा कर्तव्यों का, ऐसी ऐसी अवस्थाओं में और उन शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन, यदि कोई जिनका उल्लेख उक्त आदेश में किया जायेगा, प्रयोग अथवा निर्वहन में निर्धारित किसी नगरपालिका, पंचायत, संस्था या प्राधिकरण के

कर्मचारी द्वारा किया जा सकेगा।

भूगर्भ जल प्राधिकरण के
सदस्यों तथा कर्मचारियों
रखते का लोक सेवक होना
की धारा

17. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते अथवा कार्य करने का तात्पर्य समय प्राधिकार के सभी सदस्य एवं कर्मचारी भारतीय दंड संहिता 21 के अनुसार लोक सेवक माने जायेंगे।

सद्भावपूर्वक की गई
कार्रवाई के विरुद्ध
सुरक्षा

18. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई अथवा करने का विचार रखने के लिए

सदस्य
अथवा

प्राधिकरण अथवा सरकार के किसी अन्य अधिकारी अथवा किसी अथवा प्राधिकरण के अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, याचिका कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकेगी।

अपराधों का संज्ञान और
व्यक्ति विचारण
अपराध

19.

- (1) प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी की लिखित सहमति के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी के लिए कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।
- (2) प्रथम श्रेणी के न्यायालय से निम्न किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं किया जायेगा।

अध्याय—तीन

भूगर्भ जल पुनर्भरण के
पुनर्भरण लिए वर्षा जल का
में भूगर्भ जल संचयन
दिशा—निर्देश
सुविधाजनक
प्रबंधन
संबंधित
विकासात्मक
उचित

20.

- (1) भूगर्भ जल स्थिति में सुधार लाने के लिए प्राधिकरण राज्य में वाले उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर सकेगा और इन क्षेत्रों पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन अपनाने हेतु आवश्यक जारी कर सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल पुनर्भरण को बनाने के लिए सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से वाटरशेड को बढ़ावा दिया जा सकेगा। प्राधिकरण राज्य सरकार के विभागों को अधिसूचित क्षेत्रों के अधीन आनेवाली सभी योजनाओं में वर्षा जल संचयन को सम्मिलित करने के लिए निदेश दे सकेगा। अधिसूचित क्षेत्रों में आनेवाले शहरी क्षेत्रों में प्राधिकरण 1000 वर्ग मीटर अथवा अधिक के क्षेत्र वाले सभी वाणिज्यिक सीमाओं और अन्य में निश्चित अवधि के अन्दर रीति से आवश्यक वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के दिशा—निर्देश जारी कर सकेगा और ऐसा न होने पर प्राधिकरण वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कर सकेगा तथा दण्ड उसकी लागत वसूल सकेगा, जैसा विहित हो।
- (2) सम्बन्धित सुसंगत विधियों में अन्य किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति नगर निगम या कोई स्थानीय प्राधिकार 1000 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्रफल वाले भवन योजना की स्वीकृति देते समय भवन के छत पर जल संचयन संरचना के निर्माण की शर्त लगा सकेगा तथा इसके क्रम में दिए गए निदेश के अनुपालन के उपरांत ही भवन में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति हेतु स्थायी संयोजन दिया जा सकेगा।
- (3) प्राधिकरण सरकारी एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/शिक्षण संस्थाओं/उद्योगों/ व्यक्तियों के माध्यम से वर्षा जल संचयन और भूगर्भ जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जनजागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए कदम उठा सकेगा।

अध्याय—चार

विविध

कठिनाईयां दूर करने की
उत्पन्न शक्ति
उपबंधों

21.

- यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपराध एवं शास्तियां

22. यदि कोई भूगर्भ जल उपयोगकर्ता—

- (क) इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है अथवा अनुपालन नहीं करता है,
- (ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के कार्य में बाधा डालता है,

तो वह —

(एक) प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रुपए तक का जुर्माना, और

(दो) उसके बाद के अपराध के लिए, छह माह तक का कारावास, अथवा दस हजार रुपए तक के जुर्माने से अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा;

परन्तु यह कि कोई भी न्यायालय प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा लिखित रिपोर्ट के सिवाय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

अपराधों का प्रशमन अधीन करना जा

23. कार्यवाही संस्थित करने के चाहे पूर्व या बाद में, इस अधिनियम के किसी अपराध का यथाविहित रीति से प्राधिकरण द्वारा प्रशमन किया सकेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध अपराध में था उत्तरदायी

24.

- (1) इस अधिनियम के अधीन जब कभी किसी कम्पनी द्वारा कोई किया गया हो, अपराध करने के समय प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभार अथवा कम्पनी के कार्य संचालन के लिए कम्पनी के प्रति था, अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही चलायी जा सकेगी और दण्डित किया जा सकेगा।
- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य पदाधिकारी की सहमति या सहयोग से किया गया हो अथवा उसकी किसी उपेक्षा के कारण किया गया हों, ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही चलायी जा सकेगी और दण्डित किया जा सकेगा;

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था अथवा अपराध रोकने के लिए उसने सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरण:— इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कम्पनी” से कोई निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है, और

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपील
कार्रवाई से
सूचना
का
अपीलीय

25. (1) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के किसी निर्णय अथवा व्यथित कोई व्यक्ति, की गई कार्रवाई अथवा निर्णय के बारे में प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर यथाविहित फीस भुगतान कर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील कर सकेगा;

परन्तु यह कि यदि अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट है कि आवेदक के पास अपील को समय पर न करने के पर्याप्त कारण विद्यमान है तो उक्त 60 दिनों की समाप्ति के बाद भी वह अपील स्वीकार कर सकेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन की गई कोई अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात, यथाशीघ्र अपील का निस्तारण करेगा।

नियम बनाने की शक्ति
लिए

26. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

- (2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्—

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, सेवा अवधि और सेवा शर्तें;

(ख) प्राधिकरण के कर्मचारियों के कृत्य एवं सेवा शर्तें;

(ग) धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन अधिसूचना तामील करने की अन्य रीति;

(घ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्रपत्र तथा आवेदन के साथ दिये जाने वाला विवरण;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्रपत्र;

(च) धारा 7 की उपधारा (6) तथा धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन अनुज्ञा पत्र का प्रपत्र तथा पंजीकरण का प्रमाण पत्र;

(छ) वह रीति जिससे धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन मृदा अथवा अन्य सामग्री के नमूने रखे एवं संरक्षित किये जायेगे;

(ज) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी का निर्धारण एवं अपील आवेदन के साथ शुल्क का निर्धारण;

(झ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाने वाला हो या किया जाए।

- (3) इस धारा के अधीन बनाये गये नियमों को, बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

THE UTTARAKHAND GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) ACT, 2016

(Uttarakhand Act No. 12 of 2016)

ARRANGEMENT OF SECTION

<u>Sections</u> <u>No.</u>	<u>Details</u>	<u>Page</u>
1	Short title, extent and commencement	
2	Act to be overriding effect	
3	Definitions	
4	Establishment of a Ground water authority	
5	Staff of the Authority	
6	Power to notify areas to regulate and control the development and management of ground water	
7	Grant of permit to extract and use ground water the notified area	
8	Registration of existing users of ground water in the notified area	
9	Registration of drilling agencies	
10	Power to alter, amend or vary the terms of the permit or certificate of registration	
11	Cancellation of permit / certificate of registration	
12	Royalty in respect of use of ground water	
13	Power of the Authority	
14	Service of order etc.	
15	Installation of measuring devices	
16	Delegation of powers and duties	
17	Members and employees of the Authority to be public servants	
18	Protection of action taken in good faith	
19	Cognizance and trail of offences	
20	Rain water harvesting for conservation and ground water recharge	
21	Power to remove difficulties	
22	Offences and penalties	
23	Compounding of offences	
24	Offences by companies	
25	Appeals	
26	Power to make rules	

**THE UTTARAKHAND GROUND WATER (REGULATION AND
CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) ACT, 2016**

(Uttarakhand Act No. 12 of 2016)

An Act

to regulate and control the development and management of ground water and matters connected therewith.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Uttarakhand Pradesh in the Sixty- seventh Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Ground Water and (Regulation and Control of Development and Management) Act, **commencement** 2016.

(2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force on such date as the state Government may by notification, in the Official Gazette, appoint.

Act to have 2. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything **overriding effect** inconsistent therewith contained in the Kumoun and Garhwal Water (Collection, Retention and Distribution) Act, 1975 and Uttarakhand Water Management and Regulatory Act, 2013 or in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Definitions 3. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Uttarakhand Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2016;

(b) “artificial recharge to ground water” means the process by which ground water reservoir is augmented beyond the natural condition of replenishment;

(c) “Authority” means the Uttarakhand Pradesh Ground Water Authority established under section 3 of the Act ;

(d) “drinking water” means water for consumption or use by human population for drinking and for other domestic purposes, which shall include consumption or use of water for cooking, bathing, washing, cleansing and other day to day activities and shall include water meant for consumption by the livestock ;

Repeal- Repeal by section 2 of UK Act no 11 of 2017.

(e) “Government” means the Government of Uttarakhand ;

(f) “ground water” means the water which exists below the ground surface in the zone of saturation and can be extracted through wells or any other means or emerges as springs and base flows in streams and rivers;

(g) “Municipalities ” means an institution of self Government constituted under Article 243Q of the Constitution of India;

(h) “Panchayat” means an institution of self Government constituted under Article 243 B of the Constitution of India;

(i) “ Prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(j) “Rain water harvesting” means the process of collection and storage of rain water at surface or in sub surface aquifer;

- (k) “Royalty” means the royalty payable to the authority under section 12 of this Act;
- (l) “Sink” with all its grammatical variations and cognate expression in relation to a well includes any digging, drilling or boring of new wells or deepening of the existing wells;
- (m) “User of ground water” means a person or an institution including a company or an industry or an establishment or a society, whether Government or not, who or which use ground water for any purpose;
- (n) “Structure” means any structure constructed for the search or extraction of ground water by any person, except the authorized officials of the State or Central Government for carrying out scientific investigations, exploration, development, augmentation, conservation, protection or management of ground water, this will include open well, dug well, bore well, dug-cum-bore well, tube well, filter point, collector well, infiltration gallery, recharge well, disposal well, or any of their combinations or variations or any mean by which ground water, springs or surface water is tapped except any manually operated device for extraction of ground water.

**Establishment of
Ground Water
Authority**
“The

4. (1) The State Government shall, by notification in the official a Gazette, establish, with effect from such date as may be specified in the notification, an Authority to be known as Uttarakhand Ground Water Authority”
- (2) The Authority shall consist of the following,--
- (a) An officer either in service or retired not below the rank of Chief Secretary, and having minimum one year experience in water sector. The Chairman shall be appointed by the State Government for 3 years or upto the age of 65 years whichever is earlier.
- (b) A representative of the Central Ground Water Board to be nominated by the Chairman, CGWB;
- (c) Five ex-officio members who will be representatives of the following departments which are concerned with survey, exploration, development and management of ground water to be appointed by the State Government--
- (i) Minor Irrigation department An officer, Minor Irrigation Department who have not below the rank of superintending Engineer.
- (ii) State Forest Department Principal Chief conservator of Forest
- (iii) Payjal Department CGM/MD of Uttarakhand Jal Sansthan/Uttarakhand Payjal Nigam.

(iv) Science and Technology Incharge,
Uttarakhand Department Remote Sensing
Application Centre.

(v) Department of Energy An Engineer not less than the
rank of Superitending Engineer.

(d) Such other members not exceeding five, who in the opinion
of the State Government have special knowledge or practical
experience in matters relating to management of ground
water resources.

(3) The term of the manner of filling the vacancies and other
conditions of service of the Chairman and other members
shall be such as may be prescribed by State Government.

(4) The members will advise the Chairman who will be the Chief
Executive of the Authority.

Staff of the 5. (1) In order to enable the Authority to properly function or exercise
the powers under the Act, the Government may appoint such
number of technical personnel and other staff as it may
consider necessary.

(2) The functions and the terms and conditions of service of such
employees shall be such as may be prescribed by the State
Government.

Power to notify 6. (1) The Authority shall function under the overall control and **areas to
regulate
and control the**

**bodies, development and
management**

**control of ground water
water in
declare
Act**

(2) If the Authority, after consultation with various expert

including Central Ground Water Authority is of the opinion
that it is necessary or expedient in the public interest to
and regulate the extraction or the use or both of ground
any form in any area, it will advise the Government to
any such area to be notified area for the purposes of this
with effect from such date as may be specified therein. This
declaration will be notified in the official Gazette;

Provided that the date so specified in the
notification shall not be earlier than three months from the
date of the publication of the said notification.

(3) Every such notification shall, in addition to its publication
in the Official Gazette, be published in not less than one
daily regional language newspaper having wide circulation
in the State, and also be served in such manner as the
Government may think fit and all or any of the following
modes may be followed in effecting such service, namely-

(a) by affixing a copy of the notification to some conspicuous
part of the offices of the village Panchayats located in the said
area;

(b) by proclaiming by beat or drum or by means of loudspeakers the contents of the notification in the said area;

(c) in such other manner as may be prescribed.

(4) If in the opinion of the Authority, the availability of the ground water has improved in a notified area, it may advise the State Government to de-notify such area, and the State Government may do so according to the procedure prescribed above under section 5(3) of the Act.

(5) The Authority shall take steps to ensure that exploitation of ground water resources does not exceed the natural replenishment to the aquifers and wherever, there is mismatch, steps shall be taken to ensure augmentation of ground water resources in addition to regulatory measures.

(6) The Authority shall maintain and upkeep the data base of ground water related information.

**Grant of permit
extract and use
any ground water the
apply notified area**

(1) Any user of ground water as defined under section 3(f) to desiring to construct a structure the well in the notified area for purpose either on payment of such fee as may be prescribed,

has

to the Authority for grant of a permit, and shall not proceed with any activity connected with such construction unless a permit been granted by the Authority;

Provided that the person or persons will not have to obtain a permit if any well is proposed to be fitted with a hand operated manual pump or water is proposed to be withdrawn by manual devices.

(2) Every application made under sub-section (1) shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed by the Authority.

(3) On receipt of an application under sub-section (1), if the Authority is satisfied that it shall not be against public interest to do so, it may grant subject to such conditions and restrictions as may be specified, a permit authorizing the extraction and use of ground water. The Authority may impose condition of providing artificial recharge structures of appropriate size to be constructed by the applicant within a period as specified by the Authority:

Provided that no person shall be refused a permit unless he has been given an opportunity of being heard.

(4) The decision regarding grant or refusal of the permit shall be intimated by the Authority to the applicant within a period of 90 days from the date of decision.

(5) In granting or refusing a permit under sub-section (3), the Authority shall have regard to--

(a) the purpose or purposes for which water is to be used;

- (b) the existence of other competitive users;
- (c) the availability of water ;
- (d) quantity of ground water to be drawn;
- (e) quality of ground water to be drawn with reference to proposed usage ;
- (f) Spacing of ground water structures keeping in view the purpose for which water is to be used ;
- (g) long term ground water level behavior ;
- (h) its likelihood of adversely affecting water availability of any drinking water sources in its vicinity; and
- (i) any other factor relevant thereto.

Registration 8. (1) Every existing user of ground water in a notified area under of section 6(2) in the State shall, within a period of 120 days from the date of notification of areas by the Government, apply to the Authority for grant of a certificate of registration recognizing its notified existing use in such form and in such manner as may be prescribed;

in the area
 Provided that the Authority may entertain any such application after the expiry of the said period of 120 days, if it is satisfied that the user was prevented by sufficient cause from filing application in time.

(2) The details to be furnished in an application under sub-section (1) shall include the following, namely-

- (i) the description of the source of ground water, such a type of well, its exact location;
- (ii) the device used for lifting water;
- (iii) the quantity of ground water withdrawal and hours of operation per day;
- (iv) the total period of use in each year;
- (v) the purpose or purposes for which ground water is being extracted.

(vi) in case the requirement of ground water is for purpose of drinking water, the approximate population to be served;

(vii) in case of irrigation well, the location and extent of area irrigated, and

(viii) in the case of State, Municipal or Community run water supply schemes, the details of the services involved in addition to the quantities of ground water extracted, the diversion or the pumping points and their locations.

(3) On receipt of an application under sub-section (1), if the Authority is satisfied that it shall not be against the public interest to do so, it shall grant, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, a certificate of registration in such form as may be prescribed authorizing continued use of ground water : Provided that no person of ground water shall be refused a certificate of registration without being given an opportunity of

being heard.

(4) The decision regarding grant or refusal of the certificate of registration shall be intimated by the Authority to the applicant within a period of ninety days from the date of decision.

(5) In granting or refusing a certificate of registration under sub- section (3), the Authority shall have regard to,--

- (a) the purpose or purposes for which water is to be used;
- (b) the existence of other competitive users;
- (c) the availability of water;
- (d) quality of ground water with reference to its usage;
- (e) spacing of ground water extraction structures keeping in view the purpose for which water is to be used;
- (f) long term ground water level behavior ; and
- (g) any other factor relevant there to.

(6) The certificate of registration shall be in such form as may be prescribed.

(7) Pending the communication by the Authority of the decision on an application under sub-section (1), every existing user of ground water in the notified area shall be entitled to the continued use of the ground water in the same manner and to the same quantity as he was entitled prior to the date of his application.

(7) If a registered well becomes defunct, this fact should be immediately brought to the notice of the Authority by the user of ground water.

Registration of 9.
machinery drilling agencies
of such fee as

Every rig owner operating in the State shall register his with the Authority in such manner and on payment may be prescribed and shall follow the instructions issued by the Authority.

Power to alter, 10.
case amend or vary
reasons to the terms of the
the permit or permit/certificate

At any time after a permit or certificate of registration, as the may be has been granted the Authority may, for technical be recorded in writing, alter, amend or vary the terms of certificate of registration, as the case may be: **of registration**
Provided that no change shall be made in the permit or certificate of registration, as the case may be unless the user of ground water is afforded an opportunity of being heard:

Cancellation of 11.
this permit/ certificate
of registration

If the authority is satisfied either on a reference made to it in behalf or otherwise that -

- (a) the permit or certificate of registration granted, under sub-section (3) of section 7 of sub-section (3) of section 8 as the case may be, is not based on facts,

(b) the holder of the permit or certificate of registration has without reasonable cause failed to comply with the conditions subject to which the permit or certificate of registration has been granted or has contravened any of the provisions of this Act or the rules made there under,

or

(c) a situation has arisen which warrants limiting of the use or extraction of ground water,

then without prejudice to any other penalty to which the holder of the permit or of the certificate of registration may be liable under this Act, the Authority may after giving the holder of the permit or certificate of registration, an opportunity to show cause, cancel the permit, certificate of registration, as the case may be.

Royalty in 12.
respect of use of
and in ground water
with the prior

(1) Every user of ground water in a notified area shall pay to the Authority a royalty for extraction of ground water at such rates such manner as may be prescribed by the Authority approval of the State Government :

Provided that a user of ground water who irrigates for Agriculture/Horticulture or Floriculture less than one hectare of land, whether owned or leased or both, shall be exempted from payment of royalty under this section.

(2) The Authority may, assign such proportion of the royalty, as may be prescribed for maintenance of Water Supply Schemes and development of ground water resources or any other purposes.

Powers of the 13.
this Authority

(1) The Authority or any person authorized by it in writing in behalf, shall have power :-

(a) to enter any property (Private or Government owned) with the right to investigate and make any measurements concerning the land or the water located on the surface or the underground,

(b) to inspect the well, which has been or is being sunk and the soils and other materials excavated there from;

(c) to take specimens of such soils or other materials or of water extracted from such wells;

(d) to order, in writing the person sinking a well to keep and preserve in the prescribed manner specimens of soil or any material excavated there from for such period not exceeding six months from

the date of completion or abandonment of the work, as may be specified by the Authority and such person shall comply with such order ;

(e) to inspect and to take copies of the relevant record or documents and ask any question necessary for obtaining any information (including diameter or depth of the well which is

being or has been sunk; the level at which the water is or was struck and subsequently restored/ rested, the types of strata encountered in the sinking of the well and the quality of the ground water struck etc.) required for carrying out the purposes of this Act ;

(f) to direct the user of ground water to install water measuring devices on any ground water abstraction structures;

Provided that where the user of ground water does not comply with the directions issued to him within a period of sixty days, the Authority itself may install such water measuring device and recover the cost from the defaulting user of ground water ;

(g) to seize any equipment/device utilized for illegal sinking and demolish the work executed fully or partly;

(h) to direct any user of ground water who does not comply with the provisions of this Act and rules framed there under to close-down the extraction of ground water, disconnect its power supply and demolish any hydraulic work found to be illegal according to the provisions of this Act and the rules framed thereunder;

(i) to enter and search with such assistance, if any, as it considers necessary, any place in which it had reason to believe that offence under this Act has been or is being committed and order, in writing, the person who has been or is committing the offence, not to extract or use the ground water for a specified period not exceeding thirty days;

(j) to exercise such other powers as may be necessary for carrying out the purposes of this Act or any rules made there under.

(2) The power conferred by sub-section (1) of this section includes the power to break open the door of any premises where sinking, extraction and use of ground water may be going on :

Provided that the power to break open the door shall be exercised only after the owner or any other person in occupation of the premises, if he is present therein, refuses to open the door on being called to do so.

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, so far as may apply to any search or seizure under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 93 of the said Code.

(4) Where the Authority seizes any mechanical equipment/ device under clause (g) of sub-section (1) it shall, as soon as may be, report to Magistrate and take his orders as to the custody thereof.

- Service of orders etc.** 14. (1) Every order under clause (d) of sub-section (1) of section 13 shall be served:-
- (a) by giving or tendering the order of notice or by sending it by post to the user for whom it is intended, or
- (b) if such user cannot be found, by affixing the order of notices on some conspicuous part of his last known abode or place of business or by giving or tendering the order of notice to some adult member or servant of his family or by affixing on some conspicuous part of the land or building in which the well is being sunk.
- (2) Where the person on whom an order or a notice is to be served is a minor, service upon his guardian in the manner provided in sub-section (1), shall be deemed to be service upon the minor.
- Bar to claim compensation by** 15. No person shall be entitled to claim any damages or from the Government or Authority for any loss sustained by him virtue of any action taken under this Act.
- Delegation of powers and duties** 16. The Authority may, by general or special order in writing direct that all or any of the powers and duties which may be exercised or discharged by it shall, in such circumstances and under such conditions and with such terms and conditions, if any, as may be specified in its order, be exercised or discharged also by any Municipality, Panchayat, Institution or any employee of the Authority specified in this behalf in the order.
- members and employees of the ground water authority to be public servants** 17. All members and employees of the Authority shall, when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or of rules made thereunder, be deemed to be public servants within meaning of section 21 of the Indian Penal Code.
- Protection against action taken in good faith Authority for Act,** 18. No prosecution, suit or other legal proceedings shall be instituted against the Government, the Authority or any other officer of Government or any member or other employees of the anything done or intended to be done in good faith, under this or the rules made thereunder.

Cognizance and trail of offences 19. (1) No prosecution for an offence under this Act shall be instituted without the written consent of the Authority or a person authorized in this behalf by the Authority.

(2) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

CHAPTER-III

Rain water harvesting for ground water 20. (1) To improve the ground water situation, the Authority may identify the recharge worthy areas in the State and issue necessary guidelines for adoption of rain water harvesting for recharge

ground water recharge in these areas. In rural areas, watershed management to facilitate ground water recharge may be encouraged through community participation. The Authority may give appropriate directions to the concerned departments of the State Government to include Rain Water Harvesting in developmental schemes falling under notified areas. In all urban areas, falling in notified areas, the Authority may issue directives for constructing appropriate rain water harvesting structures in all residential, commercial and other premises in manner prescribed within the stipulated period, failing which the Authority may get such rain water harvesting structure constructed and recover the cost incurred along with a penalty as may be prescribed.

(2) Notwithstanding anything contained in the relevant laws, the Municipal Corporation or any other local Authority as the case may be, may impose stipulated conditions for providing roof top rain water harvesting structures in the building plan while according approval for construction, and permanent water and electricity connections shall be extended only after compliance of the directions given in this regard.

(3) The Authority shall take steps for promotion of Mass Awareness and Training Programmes on Rain Water Harvesting and Artificial Recharge to Ground Water through Government Agencies/Non Government Organisations (NGOs)/ Voluntary Organisations/ Educational Institutions/ Industries/ Individuals.

CHAPTER-IV

MISCELLANEOUS

Power to remove difficulties 21. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, as occasion arises, by order, do anything, which

appears to it, to be necessary or expedient to remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

Offences and penalties

22. If any user of ground water:

this

(a) contravenes or fails to comply with any of the provisions of Act or any rule made thereunder,

(a) obstructs the Authority or any other person authorized by it to exercise any of the powers under this Act,

He shall be punishable,

(i) for the first offence with fine as prescribed by the Authority, and

(ii) for the subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine as prescribed by the Authority;

Provided that no court shall take cognizance of any offence except on a report in writing by the officers of the Authority.

Compounding of Authority as offences proceedings

23. Any offence under this Act may be compounded by the prescribed, either before or after the institution of the subject to such conditions as may be prescribed.

Offences by a Companies, Trusts and

24. (1) Whenever an offences under this Act has been committed by Company, every person who at the time of the commission of offence was in charge of, or was responsible to the Company for the Societies conduct of the business of the Company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any Director, Manager, Secretary or other officer of the company such Director, Manager, Secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under this Act, if he proves that offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

Explanation - For the purpose of this section-

(a)“Company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b)“Director” in relation to a firm, means a partner in the firm.

Appeals Authority on him and appeal

25. (1) Any person aggrieved by a decision or action of the under this Act may, within a period of sixty days from the date which the action is taken or the decision is communicated to on payment of such fees as may be prescribed, prefer such an to such Appellate Authority as may be specified by the State Government in this behalf;

Provided that the Appellate Authority may entertain an appeal after the expiry of said period of 60 days, if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Appellate Authority shall, after giving the applicant an opportunity of being heard, dispose of the appeal as expeditiously as possible.

Power to make rules

26.

(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for:

(a) the term of office and manner of filling vacancies and other conditions of service of the Members and Chairman of the Authority;

(b) the functions and the terms and conditions of service of the employees of the Authority;

(c) any other manner of effecting service of the notification under clause (c) of sub-section (3) of section 6;

(d) the form of application under sub-section (2) of section 7 and the particulars that may be furnished with these applications;

(e) the form of application under sub-section (1) of section 8;

(f) the form of the Permit and Certificate of Registration under sub-section (6) of section 7 and sub-section (6) of section 8;

(g) the manner in which the specimens of soils or other materials shall be kept and preserved under clause (d) of sub-section (1) of section 12;

(h) specifying the Appellate Authority under sub-section (1) of section 25 and the fees to accompany the application for appeal;

(i) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly.
